महिलाओं की नौकरी

अठारहवां फ़िक़्ही सेमिनार (मदुराई) दिनांक 2-4 रबीउल अव्वल 1430 हिजरी, 28 फरवरी - 2 मार्च 2009 ई॰ को आयोजित हुआ।

.1 यह एक वास्तविकता है कि इस्लाम पारिवारिक व्यवस्था के सुदृढ होने को बड़ा महत्व देता है अतएवं इस उद्देश्य को सामने रखते हुए उसने पुरूषों व महिलाओं की ज़िम्मेदारियों में कार्य क्षेत्र के विभाजन के उसूल से काम लिया है कि घर से बाहर की ज़िम्मेदारियां जिनमें काम काज और कमाने की कोशिशों का भी दखल हैं, मर्दों से सम्बन्धित होंगी और घर के अन्दर के काम महिलाओं से सम्बन्धित होंगे, यह वह सर्वोत्तम विभाजन है जो सनतुलन पर आधारित मुस्लिम समाज में आज भी बड़ी हद तक पारिवारिक सुदृढता को बाक़ी रखे हुए है, इसलिए कमाना व काम धंधा करना मौलिक रूप से मर्दों की ज़िम्मेदारी है न कि औरतों की, औरतों को अकारण आज़ादी व प्रगति के नाम पर कमाने के लिए मजबूर कर देना एक सामाजिक अन्याय व अत्याचार है कि महिलाएं बच्चों का लालन पालन, घर की देखभाल व घर संभालने आदि अपना परमकर्तव्य भी पूरा करें और इस दौड़ धूप में भी मर्दों के साथ हों।

.2 आम हालात में शरीअत ने महिलाओं पर कमाने की जिम्मेदारी नहीं रखी है, लेकिन शरई सीमाओं में रहते हुए उनके लिए कमाना मुबाह है।

.3 शरीअत ने उसूली तौर पर महिलाओं पर भरण पोषण की ज़िम्मेदारी नहीं रखी है, अलबत्ता कुछ हालात में उनपर भरण पोषण की जिम्मेदारी डाली गई है।

.4 शरीई सीमाओं व शर्तो का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए महिला के लिए आर्थिक संर्घष करना वैद्य है।

.5 औरत के घर में रहते हुए गुज़र बसर के लिए कोई भी काम करने की अनुमति है, बशर्ते कि इससे पति और बच्चों के अधिकार प्रभावित न हो।

.6 (अ) पति या अभिभावक यदि महिला का भरण पोषण कर रहे हैं तो हर महिला के लिए कमाने का उद्देश्य से घर से बाहर जाने के लिए उनकी अनुमति आवश्यक है, चाहे वह जगह सफ़र की दूरी से कम हो या उससे अधिक।

(ब) रात में काम काज के लिए महिला के बाहर निकलने के लिए पति या मेहरम का साथ होना आवश्यक है।

.7 महिलाएँ कमाने के लिए घर से बाहर निकलें तो निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

(अ) अभिभावक या पति की अनुमति सम्मिलित हो, सिवाए इसके कि अभिभावक या पति भरण पोषण न देता हो और उसके लिए स्वयं काम करने के सिवा कोई चारा न हो।

(ब) शरई पर्दा की पूरी पाबन्दी हो।

(स) लिबास मर्दों के लिए आकर्षक न हो।

(श) खुशबू के इस्तेमाल से बचा जाए।

(ह) मर्दो से मेल जोल बिलकुल न हो।

(व) अजनबी मर्द के साथ एकान्त में रहने की नौबत न आए।

(य) पति और बच्चों के अधिकारों से विमुखता न बरते।

8 नौकरी करने वाली महिलाएँ ऐसे संस्थानों में काम करें, जहां महिलाएं ही काम करती हों लेकिन संस्थान के ज़िम्मेदार मर्द हों तो इस सूरत में आवश्यक होगा कि संस्थान का कोई मर्द एकान्त में किसी महिला सदस्य से बात न करे, यदि ज़िम्मेदारों के साथ विचार मिमर्श की ज़रूरत हो तो महिलाएँ पर्दे की पाबन्दी के साथ बैठें, अपनी आवाज में नर्मी न लाए, इसी तरह महिला सदस्य ज़िम्मेदार मर्दों के साथ हंसी मजाक़ और घुलने मिलने का रवैया न अपनाए।

9 जवान महिलाओं के लिए ऐसे संस्थानों में काम करना वैद्य नहीं, जहां उनके साथ मर्द सदस्य भी मौजुद हों।

10 नौकरी के उद्देश्य से महिला का अपने घर और अपने रिश्तेदारों से दूर अकेले रहना, स्थाई रूप से ठहरना वैद्य नहीं, यदि किसी महिला के साथ बडी सख्त मजबूरी हो तो फ़िर वह मुफ्ती से सम्पर्क करके अपनी परेशानी का समाधान तलाश कर सकती है।

11 सेमिनार सरकार से मांग करता है कि महिलाओं के लिए रात की ड्यूटी को वर्जित ठहराए क्योंकि रात के समय ड्यूटी के लिए उस जगह तक जाना या वहां ठहरना उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए .ख़तरा है, और यह हमारे देश के सामाजिक मूल्यों के भी विरूद्ध है।

12 सेमिनार सरकार, शैक्षिक व कल्याणकारी संस्थाओं और मुख्य रूप से मुस्लिम प्रशासन से मांग करता है कि वे लडकियों की शिक्षा के लिए दर्सगाहें और महिलाओं के लिए अलग अस्पताल, इसी प्रकार जीवन के दूसरे मैदान में महिलाएं और लडकियां पवित्र आचरण वाले वातावरण में शिक्षा व इलाज आदि की सेवाओं से लाभ उठा सकें और ज़रूरत वाली महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर भी बढें।

☆☆☆